

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 13/06/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 13/06/2024 को सुबह 10:30 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
 2. श्री एस के राव, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
 3. श्री मयंक कुमार, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नौएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि)
 4. श्री जगदीश चंद्र, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), सीएलए, नई दिल्ली।
 5. श्री विनय कुमार, प्रतिनिधि, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा।
- B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) अमित कुमार गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, और (vi) राजीव कुमार, जेर्झ, यूपीपीसीएल, नौएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
- C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 27/05/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसर्वेतन। दिनांक 27/05/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही आपत्तियाँ थीं। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 27/05/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) महादेव जेम्स एंड ज्वेल्स - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।

सुरेन्द्र मलिक

2.1 यह बताया गया कि मेसर्स महादेव जेम्स एंड ज्वेल्स ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक इकाई की स्थापना के लिए आवेदन किया था। यह "(i) हीरे से जड़े हुए हाथ से बने सोने के आभूषण, मशीन से बने आभूषण (71131913) (उत्पादन क्षमता: 35.00 किलोग्राम/वर्ष); (ii) कीमती/अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़े हुए सोने के आभूषण (71131915) (उत्पादन क्षमता: 25.00 किलोग्राम/वर्ष); (iii) सिंथेटिक/अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़े हुए सोने के आभूषण (71131919) (उत्पादन क्षमता: 290.00 किलोग्राम/वर्ष)" के निर्माण के लिए था।

2.2 श्री मनोज दुबे और श्री नीरज कुमार मेनोचा, भागीदार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री दुबे ने बताया कि फर्म पिछले एक साल से परिचालन में है और हांगकांग को निर्यात कर चुकी है। वे कनाडा को निर्यात करने की भी योजना बना रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि इससे पहले वे नई दिल्ली के करोल बाग में श्री राजमहल नामक एक अन्य आभूषण कंपनी के साथ काम कर रहे थे।

2.3 प्रस्तावित परियोजना के वित्तपोषण के संबंध में, संस्थापकों ने बताया कि उनके पास लगभग 1.40 करोड़ रुपये की संपत्ति है। इसके अलावा, उन्हें खरीदार से अग्रिम राशि भी मिलेगी। अनुमोदन समिति ने पाया कि निधियों के स्रोत का पूरा विवरण नहीं दिया गया है।

2.4 यह बताया गया कि आवेदन में कुछ कमियाँ पाई गई हैं जिन्हें आवेदक द्वारा सुधारा जाना आवश्यक है, जिसमें अनुमानों और वित्त के स्रोत में सुधार शामिल है।

2.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाट, मेसर्स महादेव जेम्स एंड ज्वेल्स के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी देने का फैसला किया। यह प्रस्तावित अधिकृत संचालन के लिए था, यानी "(i) हीरे से जड़े हाथ से बने, मशीन से बने सोने के आभूषण (71131913) (उत्पादन क्षमता: 35.00 किलोग्राम/वर्ष); (ii) कीमती/अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़े सोने के आभूषण (71131915) (उत्पादन क्षमता: 25.00 किलोग्राम/वर्ष); (iii) कृत्रिम/अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़े सोने के आभूषण (71131919) (उत्पादन क्षमता: 290.00 किलोग्राम/वर्ष)"। अनुमोदन कमियों को दूर करने 3 और 7.65 करोड़ रुपये के निधियों के स्रोत (निधि प्रवाह विवरण में दिखाया गया) का विवरण दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के विकास आयुक्त कार्यालय को उत्तर की जांच करने और फाइल पर अंतिम अनुमोदन देने के लिए सशक्त बनाया।

(3) नीलकंठ ज्वेल्स - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।

3.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स नीलकंठ ज्वेल्स ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन किया था। यह "(i) सादे 92.5 चांदी के आभूषण (हाथ और मशीन से बने) (71131141) (98000 ग्राम/वर्ष); (ii) प्राकृतिक हीरा, जड़े हुए 92.5 चांदी के आभूषण (71131143) 96000 ग्राम/वर्ष); (iii) लैब में उगाए गए हीरे और सीजेड हीरे जड़े हुए 92.5 चांदी के आभूषण (71131144) (96000 ग्राम/वर्ष); (iv) अन्य कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर से जड़े हुए 92.5 चांदी के आभूषण (71131145)

सुरेंद्र मलिक

(45000 मिलियन/वर्ष); (v) सादे सोने के आभूषण (हाथ और मशीन से बने) (71131911) (384000 ग्राम/वर्ष); (vi) प्राकृतिक हीरे, जड़े हुए सोने के आभूषण (71131913) (96000 ग्राम/वर्ष); (vii) प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे और सीजेड हीरे जड़े हुए सोने के आभूषण (71131914) (240000 ग्राम/वर्ष); (viii) अन्य कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से जड़े हुए सोने के आभूषण (71131915) (65000 ग्राम/वर्ष) (ix) सादे प्लैटिनम आभूषण (हाथ और मशीन से बने) (71131921) (10000 ग्राम/वर्ष); (x) प्राकृतिक हीरे, जड़े हुए प्लैटिनम आभूषण (71131923) (10000 ग्राम/वर्ष); (xi) प्राकृतिक हीरा, प्रयोगशाला में उगाया गया हीरा और कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़ी घड़ी की पटिट्याँ, घड़ी के बैंड और घड़ी के कंगन और उनके हिस्से (91149030) (48000 ग्राम/वर्ष)" के निर्माण के लिए था।

3.2 श्री विनोद भाई प्रेमजीभाई मालवीय, भागीदार और श्री विपुल टंडेल, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री टंडेल ने बताया कि फर्म पिछले दो वर्षों से घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) में बिक्री के लिए सादे और जड़े हुए सोने के आभूषणों का निर्माण कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि हालांकि उनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन वे अमरीका (यूएसए) में संभावित खरीदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

3.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि स्पष्ट व्यवसाय योजना और निधियों का स्रोत नहीं दिया गया था। इसके अलावा, प्रतिनिधि निधियों के स्रोत के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता सके।

3.4 यह बताया गया कि आवेदन में कुछ कमियाँ पाई गई हैं जिन्हें आवेदक द्वारा सुधारा जाना आवश्यक है।

3.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद आवेदक को आवेदन में पाई गई कमियों को सुधारने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। समिति ने निर्यात आदेशों की प्रतियाँ और 2.66 करोड़ रुपये (निधि प्रवाह विवरण में दर्शाए गए) के निधियों के स्रोत का विवरण भी दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ मांगा। अनुमोदन समिति ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की आंतरिक जाँच करने और पूरी जाँच के बाद उसे समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(4) टुकाना स्काई प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई की स्थापना।

4.1 यह सूचित किया गया कि मेसर्स टुकाना स्काई प्राइवेट लिमिटेड ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था। यह "(i) संसेचित, लेपित, ढके हुए या लेमिनेटेड वस्त्र वस्त्रों के व्यापार के लिए था; औयोगिक उपयोग के लिए उपयुक्त प्रकार के वस्त्र लेख (5906); (ii) शीर्ष 5903, 5906 या 5907 (6113) के बुने हुए या क्रोकेटेड कपड़ों से बने वस्त्र; (iii) जहाज डेरिक; केबल क्रेन सहित क्रेन; मोबाइल लिफिंग फ्रेम, स्ट्रैडल कैरियर और क्रेन ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, ट्रांसपोर्टर क्रेन, गेंट्री क्रेन, ब्रिज क्रेन, मोबाइल लिफिंग फ्रेम और स्ट्रैडल कैरियर (8426) से सुसज्जित कार्य ट्रक" हैं।

सुरेंद्र मलिक

4.2 कंपनी के कार्यकारी/अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुरेश सैनी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री सैनी ने बताया कि वे यंत्र के भाग, ऑटोमोटिव घटकों और कपड़ा सामग्री की खरीद के लिए नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के भीतर एक सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इन वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात किए जाने से पहले पुनः पैकेजिंग या परिवर्तन या परिष्करण के अधीन किया जाएगा।

4.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि आवेदक द्वारा निधि प्रवाह विवरण नहीं दिया गया था। इसके अलावा, व्यवसाय योजना भी स्पष्ट नहीं थी क्योंकि प्रस्तुत प्रस्ताव व्यापार के लिए था जबकि प्रतिनिधि ने बताया कि वे प्रसंस्करण, परिवर्तन आदि भी करेंगे। इसके अलावा, प्रस्तावित वस्तुओं का 8 अंकों का आईटीसी (एचएस) कोड, प्रस्तावित परियोजना के लिए धन का स्रोत भी नहीं दिया गया था। प्रतिनिधि प्रस्तावित व्यवसाय योजना को स्पष्ट रूप से नहीं समझा सके। अंत में, यह पाया गया कि आवेदक को इस क्षेत्र में अनुभव नहीं था।

4.4 यह बताया गया कि आवेदन में कुछ कमियाँ थीं जिन्हें आवेदक द्वारा ठीक किया जाना आवश्यक था।

4.5 अनुमोदन समिति ने पाया कि संस्थापकों को प्रस्तावित व्यवसाय में कोई पूर्ण अनुभव नहीं था। इसके अलावा कोई स्पष्ट व्यवसाय योजना नहीं थी यानी कि व्यापार या विनिर्माण करने की योजना थी। उद्यम के आगे के वित्तपोषण के बारे में भी स्पष्ट नहीं था।

4.6 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आवेदक को आवेदन में देखी गई कमियों को सुधारने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। इसमें अलग-अलग 8 अंकों के आईटीसी (एचएस) कोड और निर्यात किए गए उत्पाद का विवरण प्रस्तुत करना; इनका स्रोत (चाहे आयातित हो या सरलता से खरीदा गया हो); एक स्पष्ट व्यवसाय योजना प्रदान करना; विनिर्माण प्रक्रिया प्रवाह चार्ट, निर्यात आदेशों की प्रति और धन के स्रोत का विवरण आदि शामिल थे। अनुमोदन समिति ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की आंतरिक रूप से जांच करने और पूरी जांच के बाद इसे अपने समक्ष रखने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने आवेदक को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि कंपनी के संस्थापक प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए भविष्य की बैठकों के दौरान उपस्थित हों।

(5) आरएफबी ग्लब्स - शेष अवधि के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण, अधिकृत संचालन में संशोधन, उत्पादन क्षमता का अद्यतनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

5.1 बैठक के लिए अनुमोदन समिति के समक्ष इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्तावित अधिकृत संचालन/उत्पादन क्षमता के लिए 25/06/2029 तक पांच साल के दूसरे ब्लॉक की शेष अवधि के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण के लिए इकाई के प्रस्ताव को निम्नानुसार अनुमोदित किया:

सूरेंद्र मलिक

"निम्नलिखित का विनिर्माण:

- (i) चिकित्सा उपयोग के लिए रेडियोग्राफिक सुरक्षा दस्ताने (40151200) (120000 जोड़े/वर्ष)
- (ii) गैर-चिकित्सा उपयोग के लिए रेडियोग्राफिक सुरक्षा दस्ताने (40151900) (120000 जोड़े/वर्ष)
- (iii) चिकित्सा उपयोग के लिए विकिरण सुरक्षा दस्ताने (40151200) (120000 जोड़े/वर्ष)
- (iv) गैर-चिकित्सा उपयोग के लिए विकिरण सुरक्षा दस्ताने (40151900) (120000 जोड़े/वर्ष)
- (v) विकिरण क्षीणन के लिए स्टेराइल लेटेक्स सर्जिकल दस्ताने (40151200) (120000 जोड़े/वर्ष)
- (vi) रबर एप्रन (40159010) (120000 जोड़े/वर्ष) (vii) औद्योगिक दस्ताने (40159030) (120000 जोड़े/वर्ष)
- (viii) रासायनिक सुरक्षा दस्ताने (40151900) (120000 जोड़े/वर्ष)
- (ix) विद्युत सुरक्षा दस्ताने (40151900) (120000 जोड़े/वर्ष)
- (x) रबर स्लीव (40159099) (120000 जोड़े/वर्ष)".

5.3 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की भी निगरानी की और 31.03.2024 तक पांच वर्षों के पिछले ब्लॉक के दौरान 2019-20 से 2023-24 तक 1609.05 लाख रुपये की सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी देखा कि 31/03/2024 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं थी।

(6) जेपी होरोलॉजी - प्लॉट संख्या 89, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में भवन सहित अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का मेसर्स ब्राइट एलईडी प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरण और निकास औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता में विस्तार।

6.1 यह भी बताया गया कि ईएम अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्लॉट संख्या 89 को 20/05/2005 को मेसर्स जेपी होरोलॉजी को हस्तांतरित कर दिया गया था। हालांकि, प्लॉट संख्या 89 के कब्जे की तारीख और उप-पट्टा विलेख विवरण जैसी जानकारी (ईएम अनुभाग की रिपोर्ट के अनुसार) फ़ाइल पर उपलब्ध नहीं थी। ईएम अनुभाग द्वारा यह भी कहा गया कि यदि इकाई ने उप-पट्टा विलेख निष्पादित की होती, तो यह 20.05.2005 से 15 वर्षों में समाप्त हो जाती। अनुमोदन समिति ने पाया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए के अनुसार, प्रस्ताव पर विचार करने के लिए इकाई के पास हस्तांतरण की तिथि पर वैध अनुमोदन पत्र के साथ-साथ कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए भूमि या एसडीएफ का पट्टा होना चाहिए।

6.4 मेसर्स जेपी होरोलॉजी के प्रतिनिधि श्री अशित नरूला और मेसर्स ब्राइट एलईडी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री अजय गोयल अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री नरूला ने बताया कि उनके पास उप-पट्टे की प्रति भी नहीं हैं।

6.5 अनुमोदन समिति ने पाया कि उप-पट्टा विलेख के अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि हस्तांतरणकर्ता ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए की शर्तों को पूरा किया है या नहीं।

सुरेंद्र मौलक

6.6 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद कानूनी राय प्राप्त करने और मामले की आगे जांच करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया।

(7) भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज - फर्म के स्वामित्व में परिवर्तन और प्रदर्शन की निगरानी।

7.1 फर्म के प्रतिनिधि श्री सतीश भाटिया अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और 14/02/2024 को प्रोपराइटर श्रीमती डॉली भाटिया की मृत्यु के बारे में बताया। उन्होंने आगे कहा कि मेसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और सभी काम मेसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में ही किए जाएंगे।

7.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई को 06/12/2022 को आयोजित अनुमोदन समिति द्वारा एसडीएफ संख्या 1,3,5-8,12, ट्रेडिंग ब्लॉक, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत मेसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है, जो सुश्री भाटिया (मालिक) के निधन से पहले था।

7.3 समिति ने पाया कि उसने पहले ही इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की है और 05.03.2024 को आयोजित अपनी बैठक में नियम 74ए के तहत परिसंपत्तियों और देनदारियों के हस्तांतरण के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है।

7.4 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के स्वामित्व में उनके पक्ष में परिवर्तन के साथ-साथ घर से काम करने पर श्री सतीश भाटिया की दलीलों को रिकॉर्ड में लिया। इसने मेसर्स भाटिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना से अंतिम रूप से बाहर निकलने की अनुमति दे दी।

(8) इकोन कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड - निदेशकों/शेयरधारिता में परिवर्तन और प्रदर्शन की निगरानी।

8.1 इकाई ने कंपनी के निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में निम्नलिखित परिवर्तन के बारे में सूचित किया था:

(क) निदेशकों में परिवर्तन:

इकाई स्थापना के समय अर्थात 29/02/2012 तक निदेशकों की सूची	31/01/2023 तक निदेशक की सूची (जैसा कि इकाई द्वारा सूचित किया गया है)	21/02/2023 तक निदेशक की सूची (जैसा कि इकाई द्वारा सूचित किया गया है)	26/03/2024 तक निदेशक की सूची (जैसा कि इकाई द्वारा सूचित किया गया है)
1. श्री संतोष कुमार सरीन	1. श्री संतोष कुमार सरीन	1. श्री संतोष कुमार सरीन	1. श्री संतोष कुमार सरीन

सूचना मालिक

इकाई स्थापना के समय अर्थात् 29/02/2012 तक निदेशकों की सूची	31/01/2023 तक निदेशक की सूची (जैसा कि इकाई द्वारा सूचित किया गया है)	21/02/2023 तक निदेशक की सूची (जैसा कि इकाई द्वारा सूचित किया गया है)	26/03/2024 तक निदेशक की सूची (जैसा कि इकाई द्वारा सूचित किया गया है)
2. श्रीमती रजनी सरीन	2. श्रीमती रजनी सरीन	2. श्रीमती रजनी सरीन	2. श्रीमती रजनी सरीन
3. श्री संदीप साहनी	3. श्री संदीप साहनी	3. श्री संदीप साहनी	
4. श्री हिमांशु सरीन	4. श्री हिमांशु सरीन	4. श्री हिमांशु सरीन	
5. श्रीमती जैस्मीन कालरा	5. श्रीमती जैस्मीन कालरा	5. श्रीमती जैस्मीन कालरा	
		6. श्री दिनेश कुमार शर्मा	

(ख) शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन का विवरण:

शेयरधारक का नाम	29/02/2012 को शेयरधारिता स्वरूप	13/10/2022 से शेयरधारिता (जैसा कि इकाई द्वारा सूचित किया गया है)		26/03/2024 को शेयरधारिता (जैसा कि इकाई द्वारा सूचित किया गया है)
	%शेयरधारिता	शेयरों की संख्या	%शेयरधारिता	
1. श्री हिमांशु सरीन	53.53%	1	0.01%	0.01%
2. श्रीमती जैस्मीन कालरा	10.17	-		
3. श्री संदीप साहनी	5.41	-		
4. उमेश चंद्र जोशी	0.17	-		
5. रजनी सरीन	39.20			
6. एच.एस.कालरा	0.52	-		
7. इक्रोन होल्डिंग इंक.	-	35,04,860	99.99%	99.99%
कुल	100%	35,04,860	100%	100%
शेयरधारिता में परिवर्तन		99.99%		

8.2 प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों के ब्लॉक के दौरान इकाई का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

स्टुरेंड्र मालेक

वर्ष	निर्यात	विदेशी मुद्रा व्यय	मूल्य रुपये लाख में		
			एनएफई कमाई	डीटीए बिक्री	लंबित एनएफई
2018-19	1746.55	0.00	1746.55	0.00	0.00
2019-20	4591.02	49.92	4541.10	34.21	0.00
2020-21	3588.50	10.26	3575.24	394.52	0.00
2021-22	3843.96	8.83	3835.13	401.00	0.00
2022-23	4038.59	38.89	3999.70	360.46	0.00
कुल	17808.62	107.90	17700.72	1190.19	0.00

एनएसडीएल आंकड़ो के अनुसार, इकाई ने 2023-24 के दौरान 46.64 करोड़ रुपये का निर्यात (सॉफ्टेक्स) किया है।

8.3 यह भी बताया गया कि इकाई ने घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री और भुगतान की रसीद का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री भारतीय रुपये में - 22 लाख रुपये

घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री विदेशी मुद्रा में - 1168.19 लाख रुपये

8.4 श्री दिनेश कुमार शर्मा, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए।

8.5 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और 2018-19 से 2022-23 तक पांच वर्षों के पिछले ब्लॉक के दौरान सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (NFE) आय की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2023 तक प्राप्ति के लिए कोई विदेशी मुद्रा लंबित नहीं दिखाई गई है। अनुमोदन समिति ने आगे पाया कि 22 लाख रुपये की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री जिसके लिए भुगतान भारतीय रुपये में प्राप्त हुआ है, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम, 2005 की धारा 2(जेड) (iii) के अनुसार नहीं है।

8.6 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई द्वारा सूचित निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने ईएम विभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार शेयरधारिता स्वरूप में बदलाव के संबंध में हस्तांतरण शुल्क लगाने के मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

8.7 अनुमोदन समिति ने घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) द्वारा सेवाओं की बिक्री के बदले भारतीय रुपये में भुगतान प्राप्त करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम 2005 की धारा 2(जेड) (iii) के उल्लंघन के लिए इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, नौएडा

सुरेंद्र मौलिक

विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को उक्त एससीएन का न्यायनिर्णयन करने और एफटी (डीएंडआर) अधिनियम, यदि कोई हो, के तहत आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया।

(9) टॉरस एंगलोब प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त भंडारण माल को शामिल करना।

9.1 यह बताया गया कि मेसर्स टॉरस एंगलोब प्राइवेट लिमिटेड ने अध्याय 12, 15, 22071090, 27, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 49, 63, 64, 73, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 93 94, 95, 96 के अंतर्गत अधिकृत परिचालन में अतिरिक्त भंडारण माल को शामिल करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इकाई ने उपरोक्त अध्यायों के तहत 8 अंकों के आईटीसी (एचएस) कोड देते हुए माल की विशिष्ट सूची भी प्रस्तुत की है।

9.2 श्री अक्षित गुप्ता, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। अनुमोदन समिति ने पाया कि अध्याय 12, 96 के तहत कुछ वस्तुओं और संबंधित आईटीसी (एचएस) कोड का विवरण सही ढंग से नहीं दिया गया था।

9.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, आईटीसी (एचएस) अध्याय 22071090, 93, 9608, 84016920 के तहत माल और 8108 सहित किसी भी अध्याय के तहत अपशिष्ट/स्क्रैप को छोड़कर अतिरिक्त भंडारण माल को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन समिति ने यह भी निर्णय लिया कि एचएस अध्याय 27 के तहत प्रस्तावित माल का उपयोग विशेष रूप से विमानन उद्योग के लिए किया जाएगा और यह विवरण का हिस्सा होगा। इसके अलावा इकाई पीईएसओ अधिनियम के तहत सभी दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करेगी। यह अनुमोदन लिंटफ्री वाइपर के सही एचएस कोड (वर्तमान में 12129990 के रूप में दिखाया गया है) और वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन (APR) प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने इकाई को तुरंत कारखाना लाइसेंस प्राप्त करने/श्रम कानूनों का पालन करने का निर्देश दिया।

(10) इंटरटैबैक यूनिट्रेड प्राइवेट लिमिटेड - नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक नई इकाई स्थापित करना।

10.1 यह बताया गया कि मेसर्स इंटरटैबैक यूनिट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में एक इकाई स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह “तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, धूम्रपान और चबाने वाले तम्बाकू, स्नफ ग्राइंडर और तम्बाकू के अन्य उत्पादों और पाइप, रैपिंग सामग्री और पैकिंग सामग्री (240120) (500 मिलियन टन/वर्ष) ” के निर्माण के लिए था।

10.2 श्री सिद्धार्थ मोहिन्दू और श्री बृज मोहन तापड़िया, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री तापड़िया ने बताया कि वे 1995 से तम्बाकू निर्माण के व्यवसाय में हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे स्थानीय बाजार से कच्चा तम्बाकू खरीदेंगे और निर्माण के बाद तैयार माल को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) को निर्यात किया जाएगा।

सुरेंद्र मालेक

10.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि प्रस्तावित उत्पादों का आईटीसी (एचएस) कोड सही ढंग से नहीं दिया गया है। निधि प्रवाह विवरण भी नहीं दिया गया है। इसके अलावा, संस्थापकों के पिछले अनुभव के लिए कोई सहायक दस्तावेज नहीं दिए गए हैं।

10.4 यह भी बताया गया कि आवेदन में कुछ कमियाँ पाई गई हैं जिन्हें आवेदक द्वारा ठीक किया जाना आवश्यक है।

10.5 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद आवेदक को आवेदन में पाई गई कमियों को दूर करने के निर्देश के साथ प्रस्ताव को स्थगित कर दिया, जिसमें प्रत्येक प्रस्तावित उत्पाद का 8 अंकों का आईटीसी (एचएस) कोड, निर्यात आदेशों की प्रति, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विधिवत समर्थित निधि प्रवाह विवरण और पिछले अनुभव का विवरण प्रस्तुत करना शामिल है। अनुमोदन समिति ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की आंतरिक जांच करने और पूरी जांच के बाद उसे अपने समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

(11) एआरईएस एकिजम प्राइवेट लिमिटेड - प्लॉट संख्या 194, 195 और 162, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में भवन सहित अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों का मेसर्स ट्रेड परफेक्शन को हस्तांतरण और स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता में विस्तार।

11.1 श्री राजेंद्र मिश्रा, निदेशक और श्री ज्ञानेश सेंगर, प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया। श्री मिश्रा ने बताया कि चूंकि वे बिजली संयंत्रों के निर्माण में लगे हुए हैं, इसलिए उनका मुख्य मूल्य संवर्धन निर्माण स्थल पर है (नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में इकाई के परिसर के बजाय)। इसके अलावा, इस प्रकार की परियोजनाओं को लागू करने में लंबा समय लगता है और इसलिए, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) परिसर का नियमित आधार पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसलिए, उन्होंने नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में अपना व्यवसाय बंद करने का निर्णय लिया है।

11.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद पाया कि मेसर्स आरईएस एकिजम प्राइवेट लिमिटेड ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के नियम 74ए की शर्तों को पूरा किया है। समिति ने प्लॉट संख्या 194, 195 और 162, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण के लिए मेसर्स ट्रेड परफेक्शन को सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया। यह (i) हस्तांतरक द्वारा निकास औपचारिकताओं को पूरा करने (ii) लागू हस्तांतरण शुल्क का भुगतान करने और (iii) हस्तांतरक की परिसंपत्तियों और देनदारियों को अपने अधीन करने के संबंध में हस्तांतरी द्वारा एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन समिति ने हस्तांतरणकर्ता के स्वीकृति पत्र (LOA) की वैधता को 31/12/2024 तक बढ़ा दिया है, ताकि बाहर निकलने की औपचारिकताएं पूरी की जा सकें, बशर्ते कि विस्तारित अवधि के दौरान नए आयात या घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुरेंद्र मालिक

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)

संयुक्त विकास आयुक्त

अर्बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)

विकास आयुक्त